



2026:AHC:127131

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता संख्या - 4697 वर्ष 2026

बबलू यादव

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

राहुल सक्सेना

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल सक्सेना, का वाद धारित करते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल कुमार पाल, के साथ-साथ राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन किया।
2. यह धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो मुकदमा अपराध संख्या 94 वर्ष 2025 पुलिस स्टेशन- शहाबगंज, जिला - चंदौली के अन्तर्गत धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 333, 109, 117(2) भारतीय न्याय संहिता (पुरानी धारा 147, 323, 504, 506, 452, 307, 325 भारतीय दंड संहिता), इस माननीय न्यायालय के समक्ष अधिमानित आवेदक की दूसरी अग्रिम जमानत आवेदन है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कहानी झूठी और मनगढ़ंत कहानी के अलावा और कुछ

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है, वास्तव में आवेदक निर्दोष हैं। अब आरोप पत्र दाखिल कर दी गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पुलिस ने मामले की पूरी तरह से और ठीक से अन्वेषण किए बिना, अवैध रूप से आवेदक (गण) के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया और जब आवेदक (गण) ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है तो उनकी अग्रिम जमानत याचिका को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक एक शासकीय कर्मचारी है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी हुई है जिसके लिए कोई संभाव्य स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सा रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के नेत्र संस्करण का समर्थन नहीं करती है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी मोलायी, संतोष यादव, रमेश यादव और अमरदेव @ अमरदेव यादव ने आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 8934 वर्ष 2025 में दिनांक 12.5.2026 के आदेश के तहत इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अग्रिम जमानत पर पहले ही छोड़ दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसे अभिलेखित किया जाता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का एक अन्य मामले का आपराधिक इतिहास है जिसे दिनांक 7.6.2026 के पूरक शपथपत्र के पैरा संख्या 4 में विधिवत समझाया गया है, जो अभिलेख पर है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने अन्वेषण के दौरान पूरा सहयोग किया है। आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

4. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुतियों पर संतोषजनक ढंग से विवाद नहीं कर सके।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, आवेदक विचारण के निष्कर्ष तक अग्रिम जमानत पर बने रहने के दावेदार हैं।
6. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।
7. उपरोक्त मामले की अपराध संख्या में शामिल आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में- **बबलू यादव** को संबंधित पीठासीन अधिकारी/न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो प्रतिभू के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर विचारण के निष्कर्ष तक अग्रिम जमानत पर शर्तों के साथ रिहा किया जाएगा:-
 - i. कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके;
 - ii. कि आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iii. कि आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
 - iv. कि आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा;
 - v. आवेदक निर्धारित प्रत्येक दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दी जाए;
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय को आवेदक को दी गई जमानत को रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत देने में की गई अवलोकनों से किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को अपने साक्षियों की परिसाक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र अभिमत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आदेश दिनांक: 12 जून 2026

देव

(माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।